परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस

दिनांक
25-04-2025

- **डीआईजी बस्ती द्वारा पुलिस लाइन सभागार सिद्धार्थनगर मे जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों के साथ की गयी अपराध गोष्ठी।**
- **सम्बंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।**

दिनांक 24.04.2025 की रात्रि मे पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा एसपी सिद्धार्थनगर के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारीगण के साथ अपराध गोष्ठी की गयी।

डीआईजी बस्ती द्वारा अपराध गोष्ठी मे निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :-

(01) सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जाये।

(02) थाने में आने वाले आगंतुक/ पीड़ित/फरियादियों से सहानुभूति व सम्मान पूर्वक व्यवहार कर उनकी समस्या/शिकायत को सुनकर यथाशीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये।

(03) भूमि विवाद संबंधित प्रकरणों में थाना दिवस पर राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाये।

(04) पेंडिंग विवेचनाओ के निस्तारण /वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।

(05) हत्या, दहेज हत्या,फिरौती हेतु अपहरण एवं गम्भीर चोट के अपराधो की समीक्षा करते हुए अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का निस्तारण एवं नियमानुसार संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करायी जाये एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए सजा करायी जाये।

(06) लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराकर अभियोग पंजीकरण कराते हुए इनसे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सम्पत्ति की बरामदगी की जाये एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके।

(07) महिला संबंधी अपराध बलात्कार, शीलभंग, अपहरण,पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों मे तत्काल अभियोग पंजीकरण कराते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

(08) SC/ST अधिनियम के प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर कराते हुए विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये।

(09) जघन्य अपराधों में रासुका के तहत कार्यवाही करायी जाये तथा प्रभावी पैरवी कराकर गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करायी जाये।

(10) जनपद स्तर पर टीम गठित कर शेष पुरस्कार घोषित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करायी जाये।

(11) गिरोहबंद अधिनियम के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराते हुए अपराध से सम्बन्धित अर्जित सम्पत्ति का चिन्हांकन कराकर नियमानुसार सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये।

(12) गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाये ताकि अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके।

(13) NDPS एक्ट से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया जाए ताकि सिंडिकेट पर अंकुश लगाया जा सके।

(14) अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्री की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(15) आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कैमरों के लाभ के बारे में जनता में प्रचार कर अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कराये जाये एवं डाटा पोर्टल पर अपलोड कराये जाये।

(16) आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा करायी जाय।

(17) ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित अभियोगों मे समय से विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराये।

(18) जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक डिजिटल वारियर्स बनाया जाये तथा साइबर अपराध के प्रकरणों में तुरंत FIR दर्ज कर शीघ्र अनावरण किया जाये।

(19) सभी मुकदमों में विवेचकगण से ई साक्ष्य एप पर साक्ष्य (फ़ोटो/वीडियो आदि) अपलोड कराया जाये।

(20) NCCRP,IGRS, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाये।

(21) मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित प्रकरणो मे यथाशीघ्र निस्तारण कराकर शतप्रतिशत फीडिंग करायी जाये।

(22) एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से अभियोगो का अनावरण, अपहृताओ की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी जाये।

(23) जघन्य अपराधों तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधो मे संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये तथा हिस्ट्रीशीटरो का सत्यापन कराया जाये।

(24) थानो पर खड़े वाहनों का निस्तारण ऑपरेशन क्लीन के तहत यथाशीघ्र कराया जाये।

(25) सर्किल स्तर पर स्थापित होने वाले पिंक बूथ/ परिवार परामर्श केंद्र के लिए सभी आवश्यक संसाधनो तथा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाये। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

(26) वाहन चोरी/नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, बैंक/ ग्राहक सेवा केंद्र/ पेट्रोल पंप व अन्य वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित शाखा प्रबंधकों से सामंजस्य स्थापित कर सीसीटीवी कैमरे अधिक से अधिक लगवाए जाएं।

(27) होटल, धर्मशाला, ढाबा, सर्राफा बाजार के आसपास लगे हुए कैमरो की निगरानी एवं चेकिंग लगातार करते हुए मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त बढ़ाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिये गये।

(28) बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन से चेकिंग व पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस विभाग के साथ-साथ अभिसूचना विभाग को भी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए हर कार्यवाही पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया।

(29) क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने- अपने सर्किल की समीक्षा की जाये व SRकेसो में शीघ्र गिरफ्तारी की जाये।सभी अधिकारी/कर्मचारी गण को बीट आवंटन किया जाए व बीट बुक थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी द्वारा चेक किया जाये।

(30) पहलगाम में हुए आंतकी हमले के दृष्टिगत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संवेदनशील व कम्युनल एरिया में निरंतर फूट पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था सुदृढ की जाये।

उक्त गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल

रेंज कार्यालय, बस्ती।